राजस्थान राज–पत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

सत्यमेव जयते

फाल्गुन 6, सोमवार, शाके 1929–फरवरी 25, 2008
Phalguna 6, Monday, Saka 1929–February 25, 2008

भाग 4 (ग)

उप–खण्ड (II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य–प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं।

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 25 फरवरी, 2008

एस.ओ.424.–राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 8 की उप–धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची–I में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :–

<u>संशोधन</u>

उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची–I में,–

(1) क्र.सं. 18 के सामने स्तम्भ सं. 3 में अभिव्यक्ति ''सिवाय जब कंपनी अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी कंपनी द्वारा विक्रीत की जाये।'' अन्तःस्थापित की जावेगी।

(2) क्र.सं. 37 के सामने स्तम्भ सं. 2 में विद्यमान शब्द ''पापड़'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''पापड़, पापड़खार'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

(3) क्र.सं. 53 के सामने स्तम्भ सं. 2 में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''कुट्टु'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''कुट्टु, कांगणी'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

(4) विद्यमान क्र.सं. 61 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

''

61.	देशी शराब, विदेशी शराब, भारत में निर्मित विदेशी शराब और बीयर	जब बार, रेस्तरां या होटल में विक्रीत नहीं की जाये

''

(5) विद्यमान क्र.सं. 88 और उसकी प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित नये क्र.सं. और उनकी प्रविष्टियां जोड़ी जायेंगी, अर्थात्:–

''

89.	गोबर गैस संयंत्र और उसके संघटक, जिसमें गोबर गैस

	संयंत्रों में प्रयुक्त होने वाली मशीनरी अर्थात् (i) गोबर गैस होल्डर, (ii) गोबर गैस होल्डर के लिए गाइड फ्रेम, और (iii) गोबर गैस बर्नर सम्मिलित है।
90.	बिना बिजली के प्रचालित हस्त औजार जैसे गुरमाला, करनी, सांवल, गुनिया, रन्दा, बसूला, आयरन छीनी, जूतों की मरम्मत का फरमा, बाल काटने की मशीन, कोयले की इस्त्री और आयरन-वायर ब्रश।
91.	टैक्सटाइल प्रिंटिंग के लिए वुडन हैण्ड ब्लॉक।
92.	आईएसआई मार्का केरोसीन स्टोव और विक स्टोव।
93.	घरेलू सोलर कूकर।

''

[एफ.12(15)वित्त/कर/2008-72]
राज्यपाल के आदेश से,

(रजत कुमार मिश्र)
शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 25 फरवरी, 2008

एस.ओ.425.-राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 8 की उप-धारा (3क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची-II में, इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची-II में विद्यमान क्र.सं. 21 और उसकी प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित नयी क्र.सं. और उनकी प्रविष्टियां जोड़ी जायेंगी, अर्थात्:-

''

22.	मार्बल के ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी जिन्होंने 1.04.2006 से 14.01.2008 तक की कालावधि के दौरान विक्रय कीमत में रॉयल्टी रकम को सम्मिलित नहीं किया है	
23.	अक्षय कलेवा स्कीम के अधीन भोजन विक्रय करने वाले व्यवहारी	

''

[एफ.12(15)वित्त/कर/2008-73]
राज्यपाल के आदेश से,

(रजत कुमार मिश्र)
शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 25 फरवरी, 2008

एस.ओ.426.-राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं.4) की धारा 4 की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची-III में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची-III में, क्र.सं. 4 के सामने स्तम्भ सं. 4 में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''31.3.2008'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''31.3. 2009'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

[एफ.12(15)वित्त/कर/2008-74]
राज्यपाल के आदेश से,

(रजत कुमार मिश्र)
शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 25 फरवरी, 2008

एस.ओ.427.- राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं.4) की धारा 4 की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची-IV में, इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची-IV में,-

(1) विद्यमान क्र.सं. 88 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

''	88.	अनन्य रूप से मॉल्डेड प्लास्टिक फुटवियर, हवाई चप्पल और उनके स्ट्रेप्स	4	''

(2) क्र.सं. 107 की विद्यमान प्रविष्टियों के पश्चात् और क्र.सं. 108 के पूर्व, निम्नलिखित नयी क्र.सं. और उसकी प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जायेंगी, अर्थात्:-

''	107क.	ऐसी ताजी सब्जियाँ और फल जब इनका विक्रय कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी कम्पनी द्वारा किया जाये	4	''

(3) क्र.सं. 168 के सामने स्तम्भ सं. 2 में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''टिकिया के रूप में समस्त प्रकार के धुलाई साबुन किन्तु डिटर्जेन्ट, पाउडर और तरल रूप को छोड़कर'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''पैक रहित हस्त निर्मित साबुन की टिकिया'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

(4) विद्यमान क्र.सं. 168 और उसकी प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित नयी क्र.सं. और उनकी प्रविष्टियां जोड़ी जायेंगी, अर्थात्:-

''

169.	ए सी एस आर कण्डक्टर्स	4
170.	लोहे की पाइप और निवार से निर्मित चारपाइयाँ	4
171.	समस्त प्रकार के मार्बल	4
172.	तैयार कोटा स्टोन	4

''

(5) भाग ख में,-

(i) क्र.सं. 35 के स्तम्भ सं.2 में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''अधातु से भिन्न हाइड्रोजन, विरल गैस'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''हाइड्रोजन, विरल गैस और अन्य अधातु'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

(ii) विद्यमान क्र.सं. 271 और उसकी प्रविष्टियां हटायी जायेंगी।

[एफ.12(15)वित्त/कर/2008-75]
राज्यपाल के आदेश से,

(रजत कुमार मिश्र)
शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 25 फरवरी, 2008

एस.ओ.428.- राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं.4) की धारा 8 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, मार्बल के ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यवहारियों को, जिन्होंने 1.04.2006 से 14.01.2008 तक की कालावधि के दौरान विक्रय कीमत में रॉयल्टी रकम को सम्मिलित नही किया है, कर के संदाय से निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए इसके द्वारा छूट देती है, अर्थात्:-

(1) कि यदि ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यवहारियों ने रॉयल्टी रकम पर कर प्रभारित या संगृहीत किया है तो उसे राज्य सरकार को जमा करा दिया जायेगा; और

(2) जहां रॉयल्टी रकम पर कर राज्य सरकार को जमा करा दिया गया है वहां उसका प्रतिदाय नहीं किया जायेगा।

[एफ.12(15)वित्त/कर/2008-76]
राज्यपाल के आदेश से,

(रजत कुमार मिश्र)
शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 25 फरवरी, 2008

एस.ओ.429.- राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं.4) की धारा 8 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, अक्षय कलेवा स्कीम के अधीन व्यवहारियों द्वारा किये गये भोजन के विक्रय पर कर के संदाय से निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए दिनांक 01.04.2006 से इसके द्वारा छूट देती है, अर्थात्:-

(1) कि यदि उपर्युक्त निर्दिष्ट स्कीम के अधीन विक्रीत भोजन पर व्यवहारियों द्वारा कर प्रभारित या संगृहीत किया गया है तो उसे राज्य सरकार को जमा कराया जायेगा; और

(2) जहां ऐसे भोजन के विक्रय पर कर राज्य सरकार को जमा करा दिया गया है वहां उसका प्रतिदाय नहीं किया जायेगा।

[एफ.12(15)वित्त/कर/2008-77]
राज्यपाल के आदेश से,

(रजत कुमार मिश्र)
शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 25 फरवरी, 2008

एस.ओ.430.- राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 20 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, रुग्ण घोषित की गयी ऐसी इकाइयों को, जो फिर से चालू होने के पश्चात् 31 मार्च, 2009 को या इसके पूर्व वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ कर देती हैं, नीचे दी गयी सीमा तक, कालावधि के लिए और शर्तों के अध्यधीन रहते हुए इसके द्वारा कर के संदाय के दायित्व को आस्थगित करती है :-

(1) कि ऐसी इकाई राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 के अधीन राज्य सरकार द्वारा जारी की गयी अधिसूचना के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया पात्रता प्रमाणपत्र रखती हो;

(2) कि सुसंगत अधिसूचना के अधीन पूरा फायदा लेने के पूर्व ऐसी इकाई राज्य सरकार के उद्योग विभाग द्वारा रुग्ण घोषित की गयी थी;

(3) कि रुग्ण इकाई फिर से चालू हो गयी हो और वाणिज्यिक उत्पादन पुनः प्रारम्भ करके अपने द्वारा विनिर्मित माल का 31.03.2009 को या उसके पूर्व विक्रय करती है;

(4) कि ऐसा आस्थगन, इकाई को जारी किये गये पात्रता प्रमाणपत्र के अनुसार, फायदे की अनुपभुक्त रकम तक या 31.03.2011 तक, इनमें से जो भी पहले हो, सीमित होगा;

(5) कि कर की आस्थगित रकम, कर फायदे की अनुपभुक्त रकम की उपभुक्तता की समाप्ति या 31.03.2011, इनमें से जो भी पहले हो, से दस समान अर्द्धवार्षिक किस्तों में जमा करायी जायेगी;

(6) कि खण्ड (6) के अधीन किसी भी किस्त के जमा कराने में हुए व्यतिक्रम की दशा में, सम्पूर्ण आस्थगित कर तुरन्त संदेय होगा और भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूलीय होगा;

(7) कि यदि ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी ने हकदारी अधिसूचना के निबंधन और शर्तों के अतिक्रमण में कर प्रभारित या संगृहीत कर लिया है तो उसे राज्य सरकार को जमा कराया जायेगा; और

(8) कि जहां कर राज्य सरकार को पहले ही जमा कराया जा चुका है तो उसका प्रतिदाय नहीं किया जायेगा।

[एफ.12(15)वित्त/कर/2008-78]
राज्यपाल के आदेश से,

(रजत कुमार मिश्र)
शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 25 फरवरी, 2008

एस.ओ.431.- राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, ''सिल्क फैब्रिक्स के व्यवहारियों के लिए प्रशमन स्कीम'' (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'स्कीम' के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) इसके द्वारा अधिसूचित करती है और ऐसे व्यवहारियों को सभी प्रकार के सिल्क फैब्रिक्स के उनके विक्रय के संबंध में, सुसंगत वर्ष के उनके सकल पण्यावर्त के आधार पर अवधारित प्रशमन रकम के संदाय पर, वर्ष 2006-07 और 2007-08 के लिए उनके कर दायित्व के स्थान पर प्रशमन रकम के लिए विकल्प देने के लिए अनुज्ञात करती है।

1. यह स्कीम 1 अप्रैल, 2006 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी और 31.03.2008 तक प्रवृत्त रहेगी।
2. कर के स्थान पर प्रति व्यवहारी प्रतिवर्ष संदत्त की जाने वाली प्रशमन रकम सुसंगत वर्ष के लिए व्यवहारी के सकल पण्यावर्त का 0.5 प्रतिशत होगी।
3. वर्ष 2006-07 के लिए प्रशमन रकम इस अधिसूचना के जारी होने के तीस दिन के भीतर संदेय होगी और वर्ष 2007-08 के लिए प्रशमन रकम 30 अप्रैल 2008 तक जमा करवायी जायेगी।
4. इस स्कीम का विकल्प देने वाला व्यवहारी, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन के तीस दिन के भीतर अपने निर्धारण प्राधिकारी को सादे कागज पर आवेदन करेगा।
5. इस स्कीम में यथा उपबंधित के सिवाय, इस स्कीम के अधीन कर के प्रशमन का विकल्प देने वाला व्यवहारी राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 और तद्धीन बनाये गये नियमों के समस्त उपबंधों के अध्यधीन होगा।

6. व्यवहारी प्रशमन कालावधि के दौरान कोई भी कर प्रभारित या संगृहीत नहीं करेगा। तथापि, इस स्कीम का विकल्प देने के पूर्व व्यवहारी द्वारा प्रभारित या संगृहीत कर तुरन्त जमा करवाना होगा और पूर्व में जमा कराये गये कर का प्रतिदाय नहीं किया जायेगा।
7. व्यवहारी अपने द्वारा किये गये क्रय के संबंध में किसी भी आगत कर मुजरा या प्रतिदाय का दावा करने का हकदार नहीं होगा।
8. यदि कोई व्यवहारी वर्ष के दौरान स्कीम से स्वेच्छा से हट जाता है तो उससे संपूर्ण प्रशमन रकम, यदि वर्ष के लिए पूर्व में संदत्त नहीं की गयी हो, तुरंत जमा करवाये जाने की अपेक्षा की जायेगी।
9. स्कीम के अधीन प्रशमन रकम और कोई भी अन्य उद्ग्रहण, राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 के अधीन भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूलीय होगा।

[एफ.12(15)वित्त/कर/2008-79]
राज्यपाल के आदेश से,

(रजत कुमार मिश्र)
शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 25 फरवरी, 2008

एस.ओ.432.-राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं.4) की धारा 8 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ. 12(28)एफडी/टैक्स/2007-139 दिनांक 09.03.2007 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, प्रयुक्त किये गये मोटर यानों में व्यवहार करने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यवहारियों को, उस सीमा तक जिस तक कर की दर 4% से अधिक है, निम्नलिखित शर्तों पर कर के संदाय से इसके द्वारा छूट देती है, अर्थात् :-

(1) कि ऐसे माल, जो प्रयुक्त किये गये मोटर यान में उपयोग में लिया जाता है, के क्रय के संबंध में व्यवहारी द्वारा आगत कर मुजरा का कोई दावा नहीं किया जायेगा; और
(2) कि ऐसा प्रयुक्त किया गया मोटर यान प्रारम्भ में राज्य के रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी से क्रय किया गया था और इसके विक्रय के पूर्व मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम 59) के उपबन्धों के अधीन राज्य में रजिस्ट्रीकृत है।

[एफ.12(15)वित्त/कर/2008-80]
राज्यपाल के आदेश से,

(रजत कुमार मिश्र)
शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 25 फरवरी, 2008

एस.ओ.433.- राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 8 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इस विभाग की (समय-समय पर यथासंशोधित) अधिसूचना सं. एफ. 12(63)एफडी/टैक्स/05-23 दिनांक 25.4.2006 में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, शर्त सं. (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''31.3.2008'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''31.3.2009'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

[एफ.12(15)वित्त/कर/2008-81]
राज्यपाल के आदेश से,

(रजत कुमार मिश्र)
शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 25 फरवरी, 2008

एस.ओ.434.- राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 8 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इस विभाग की अधिसूचना संख्या एफ.12(28)एफडी/टैक्स/2007-142 दिनांक 9.3.2007 में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''31.3.2008 तक'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''31.3.2009 तक'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

[एफ.12(15)वित्त/कर/2008-82]
राज्यपाल के आदेश से,

(रजत कुमार मिश्र)
शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 25 फरवरी, 2008

एस.ओ.435.-राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं.4) की धारा 8 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ 12(63)एफडी/टैक्स/2005-80 दिनांक 11.8. 2006 में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना के खण्ड (2) में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''30 दिन के भीतर'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''60 दिन के भीतर'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

[एफ.12(15)वित्त/कर/2008-83]
राज्यपाल के आदेश से,

(रजत कुमार मिश्र)
शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 25 फरवरी, 2008

एस.ओ.436.- राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 8 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची I में, इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

अनुसूची I में 01.04.2006 से 31.03.2007 तक जारी की गयी अधिसूचनाओं द्वारा किये गये समस्त संशोधनों को 1 अप्रैल, 2006 से किया हुआ समझा जायेगा।

[एफ.12(15)वित्त/कर/2008-84]
राज्यपाल के आदेश से,

(रजत कुमार मिश्र)
शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 25 फरवरी, 2008

एस.ओ.437.- राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 4 की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची III, IV, V और VI में, इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

अनुसूची III, IV, V और VI में 01.04.2006 से 31.03.2007 तक जारी की गयी अधिसूचनाओं द्वारा किये गये समस्त संशोधनों को 1 अप्रैल, 2006 से किया हुआ समझा जायेगा।

[एफ.12(15)वित्त/कर/2008-85]
राज्यपाल के आदेश से,

(रजत कुमार मिश्र)
शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 25 फरवरी, 2008

एस.ओ.438.- राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 8 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, निम्नलिखित को किये गये विमानन आसव के विक्रय पर, उस सीमा तक जिस तक कर की दर 4 प्रतिशत से अधिक है, कर के संदाय से इसके द्वारा छूट प्रदान करती है:-

(1) एयरलाइंस, जो राज्य में 'हब' स्थापित करती है;
(2) रजिस्ट्रीकृत फ्लाइंग क्लबों को उनकी प्रशिक्षण उड़ानों के लिए; और
(3) एयरलाइंस, जो राज्य के ऐसे शहरों को, जहां कोई वायु-सेवा नहीं है, पहली बार वायु सेवा से जोड़ती है, छूट केवल ऐसी उड़ानों तक सीमित रहेगी।।

[एफ.12(15)वित्त/कर/2008-86]
राज्यपाल के आदेश से,

(रजत कुमार मिश्र)
शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 25 फरवरी, 2008

एस.ओ.439.- राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 99 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) नियम, 2008 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 18 का संशोधन.- राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् ''उक्त नियमों'' के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 18 में,-

(i) विद्यमान उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

''(2) किसी विद्यमान इकाई द्वारा मूपक बीजक पर पूंजीगत माल के क्रय के संबंध में आगत कर मुजरा सितम्बर और मार्च मास में दो अर्धवार्षिक समान किस्तों में अनुज्ञात किया जायेगा। तथापि, किसी नये उद्योग या किसी विद्यमान उद्योग के विस्तार या विविधीकरण के मामले में ऐसा आगत कर मुजरा, ऐसे पूंजीगत माल से विनिर्मित माल के प्रथम विक्रय के पश्चात् ठीक उत्तरवर्ती सितम्बर या मार्च के आरंभ से उपर्युक्त रीति में अनुज्ञात किया जायेगाः

परन्तु किसी विद्यमान इकाई के मामले में, जहां पूंजीगत माल का प्रति मद मूल्य एक लाख रुपये से अधिक नहीं है वहां आगत कर मुजरा उनके क्रय की कर कालावधि में अनुज्ञात किया जायेगा।''

(ii) उप-नियम (11) में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''अधिसूचना में विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रस्तुत कर दी हो।'' के पश्चात् अभिव्यक्ति ''तथापि, यदि किसी व्यवहारी ने ऐसे आगत कर मुजरा का, ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व ही उपभोग कर लिया है तो ऐसा आगत कर मुजरा प्रतिवर्तित हो जायेगा जब तक कि व्यवहारी ऐसे आगत कर मुजरा के पूर्व उपभोग की कालावधि के लिए ब्याज 31 मार्च, 2008 तक जमा न करा दे।'' जोड़ी जायेगी।

3. नियम 19 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 19 में,-

(i) विद्यमान उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

''(1) अधिनियम की धारा 21 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट विवरणी, किसी ऐसे व्यवहारी द्वारा, जिसने अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2) या धारा 5 या धारा 8 की उप-धारा (3) के अधीन जारी अधिसूचना के अधीन कर के संदाय के लिए विकल्प नहीं दिया है, तिमाही की समाप्ति के तीस दिन के भीतर प्रत्येक तिमाही के लिए प्ररुप मूपक 10 में प्रस्तुत की जायेगी। तथापि, जहां कोई व्यवहारी अपेक्षित दस्तावेजों के साथ विवरणी इलैक्ट्रोनिक रूप से दाखिल करता है या विभाग को उसे सोफ्ट प्रति में

प्रस्तुत करता है और अपने निर्धारण प्राधिकारी या आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को, मासिक विवरणी दाखिल करने के आशय से सूचित करता है, तो वह मास की समाप्ति के बीस दिन के भीतर-भीतर मासिक विवरणी दाखिल कर सकेगा।

स्पष्टीकरण- तिमाही से 30 जून, 30 सितम्बर, 31 दिसम्बर और 31 मार्च को समाप्त होने वाली तीन मास की कालावधि और मास से कलेण्डर मास अभिप्रेत है।''

(ii) उप-नियम (2) में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''या धारा 5 के अधीन'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''या धारा 5 या अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (3) के अधीन जारी किसी अधिसूचना के अधीन'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

(iii) उप-नियम (3) के विद्यमान खण्ड (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

''(ङ) ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यवहारियों से भिन्न रजिस्ट्रीकृत व्यवहारियों के किये गये विक्रयों का प्ररुप मूपक-08 के भाग-1 में विवरण, जो धारा 3 की उप-धारा (2) के अधीन या धारा 5 या धारा 8 की उप-धारा (3) के अधीन विकल्प का प्रयोग करते हैं;''

4. नियम 19क का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 19क के उप-नियम (2) के खण्ड (घ) में विद्यमान अभिव्यक्ति ''प्ररुप मूपक-09 में'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''प्ररुप मूपक-08 के भाग-1 में'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

5. नये नियम 22क का अंतःस्थापन.- विद्यमान नियम 22 के पश्चात् और नियम 23 के पूर्व निम्नलिखित नया नियम अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

''**22क. व्यवहारियों द्वारा वार्षिक निर्धारण का विकल्प.-** (1) जहां अधिनियम की धारा 23 के परन्तुक के अधीन कोई व्यवहारी वार्षिक निर्धारण का विकल्प देना चाहता है, तो वह उस वर्ष, जिसके लिए ऐसे विकल्प का प्रयोग किया जा रहा है, के प्रारंभ होने के तीस दिन के भीतर उसके निर्धारण प्राधिकारी या आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को, सादे कागज पर लिखित में अपने आशय की सूचना देगा।

(2) उप-नियम (1) के अधीन यदि एक बार विकल्प का प्रयोग कर लिया जाता है तो विकल्प देने वाला व्यवहारी उस वर्ष के लिए उससे हट जाने का हकदार नहीं होगा।''

6. प्ररुप मूपक-07 का संशोधन.- उक्त नियमों से संलग्न प्ररुप मूपक-07 में;

(i) भाग I में, विद्यमान स्तम्भ संख्या 5 के पश्चात् और स्तम्भ संख्या 6 के पूर्व निम्नलिखित नये स्तम्भ '5क और 5ख' अन्तःस्थापित किये जायेंगे, अर्थात्:-

''माल का नाम	माल की क्र.सं. सहित अनुसूची संख्या
5क	5ख''

(ii) भाग II में, विद्यमान स्तम्भ संख्या 5 के पश्चात् और स्तम्भ संख्या 6 के पूर्व निम्नलिखित नये स्तम्भ '5क और 5ख' अन्तःस्थापित किये जायेंगे, अर्थात्:-

''माल का नाम	माल की क्र.सं. सहित अनुसूची संख्या
5क	5ख''

7. प्ररुप मूपक-08 का संशोधन.- उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान प्ररुप मूपक-08 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"प्ररुप मूपक-08
[नियम 18(1)(ख), 19(3)(ङ) और 36 देखिए]
विक्रय रजिस्टर

1. व्यवहारी का नाम (स्वत्वधारी/फर्म का नाम/कंपनी का नाम आदि)
2. रजिस्ट्रीकरण सं. (टिन)

भाग-I [धारा 3(2)और 5 के अधीन व्यवहारियों से भिन्न मूपक व्यवहारियों को राज्य के भीतर विक्रय]

क्र.सं.	बीजक सं./ मूपक बीजक सं.	तारीख	क्रेता व्यवहारी का नाम	क्रेता का रजिस्ट्रीकरण सं. (टिन), यदि कोई हो,	माल का नाम	माल की अनुसूची सं.
1	2	3	4	5	6	7

माल की क्र.सं.	छूट प्राप्त विक्रय	(राज्य के भीतर) अभिकर्त्ता/शाखा को स्टॉक का स्थानान्तरण	प्ररुप मूपक 15 के प्रति विक्रय	योग	
				विक्रय की रकम	कर की रकम
8	9	10	11	12	13

भाग-II [राज्य के भीतर भाग I में उल्लिखित विक्रय से भिन्न]

क्र.सं.	बीजक सं./ मूपक बीजक सं.	तारीख	क्रेता व्यवहारी का नाम	क्रेता का रजिस्ट्रीकरण सं. (टिन), यदि कोई हो,	माल का नाम	माल की अनुसूची सं.
1	2	3	4	5	6	7

माल की क्र.सं.	छूट प्राप्त विक्रय	(राज्य के भीतर) अभिकर्त्ता/शाखा को स्टॉक का स्थानान्तरण	प्ररुप मूपक 15 के प्रति विक्रय	योग	
				विक्रय की रकम	कर की रकम
8	9	10	11	12	13

भाग-III [राज्य के भीतर विक्रय से भिन्न]

क्र.सं.	बीजक सं./ मूपक बीजक सं.	तारीख	क्रेता व्यवहारी का नाम	क्रेता का रजिस्ट्रीकरण सं. (टिन), यदि कोई हो,	माल का नाम	माल के क्र.सं. के साथ अनुसूची सं.
1	2	3	4	5	6	7

बीजक/मूपक बीजक की सकल रकम (मूपक को छोड़कर)	अन्तरराज्यिक विक्रय		निर्यात विक्रय		स्टाक अन्तरण/शाखा अन्तरण/ डिपो अन्तरण	छूट प्राप्त विक्रय
	के.वि.क. अधिनियम की 3(क)	के.वि.क. अधिनियम की 3(ख)	के.वि.क. अधिनियम की 5(1)	के.वि.क. अधिनियम की 5(3)		
8	9	10	11	12	13	14

कराधेय विक्रय				कुल कर
प्ररुप ग के प्रति	कर	प्ररुप ग के बिना	कर	
15	16	17	18	19

टिप्पणः क्रय कर संदत्त करने का दायित्व मूपक अधिनियम, 2003 की धारा 4(2) के अधीन संगणित करें।

8. प्ररूप मूपक-09 का संशोधन.- उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान प्ररुप मूपक-09 हटाया जायेगा।

[एफ.12(15)वित्त/कर/2008-87]
राज्यपाल के आदेश से,

(रजत कुमार मिश्र)
शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 25 फरवरी, 2008

एस.ओ.440.- राजस्थान मनोरंजन और विज्ञापन कर अधिनियम, 1957 (1957 का अधिनियम सं. 24) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ.12(28)एफडी/टैक्स/2007-153 दिनांक 9.3.2007 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, इसके द्वारा अधिसूचित करती है कि कर की दर किसी मनोरंजन में प्रवेश के संदाय का 30 प्रतिशत होगी।

यह अधिसूचना 1 अप्रेल, 2008 से प्रवृत्त होगी।

[एफ.12(15)वित्त/कर/2008-88]
राज्यपाल के आदेश से,

(रजत कुमार मिश्र)
शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 25 फरवरी, 2008

एस.ओ.441.- राजस्थान मनोरंजन और विज्ञापन कर अधिनियम, 1957 (1957 का अधिनियम सं. 24) की धारा 7 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, एक लाख से कम की जनसंख्या वाले शहर में किसी सिनेमा के स्वत्वधारी, जो प्रोजेक्टर प्रणाली के माध्यम से सिनेमा प्रदर्शित करता है, द्वारा संदेय मनोरंजन कर का इसके द्वारा परिहार करती है।

यह अधिसूचना 1 अप्रेल, 2008 से प्रवृत्त होगी।

[एफ.12(15)वित्त/कर/2008-89]
राज्यपाल के आदेश से,

(रजत कुमार मिश्र)
शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 25 फरवरी, 2008

एस.ओ.442.- राजस्थान मनोरंजन और विज्ञापन कर अधिनियम, 1957 (1957 का अधिनियम सं. 24) की धारा 7 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ 10(14)एफडी/टैक्स/97-पार्ट-89 दिनांक 08.08.2002 में, इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, विद्यमान अभिव्यक्तियों,-

''1 पहले वर्ष में 100 प्रतिशत;
2 दूसरे वर्ष में 100 प्रतिशत;
3 तीसरे वर्ष में 90 प्रतिशत;
4 चौथे वर्ष में 80 प्रतिशत;
5 पांचवें वर्ष में 70 प्रतिशत;''

के स्थान पर निम्नलिखित अभिव्यक्तियां, अर्थात्

''1 पहले वर्ष में 100 प्रतिशत;
2 दूसरे वर्ष में 100 प्रतिशत;
3 तीसरे वर्ष में 100 प्रतिशत;
4 चौथे वर्ष में 90 प्रतिशत;
5 पांचवें वर्ष में 80 प्रतिशत;

08.08.2002 से इस शर्त के अध्यधीन प्रतिस्थापित की जायेंगी कि प्रभारित या संगृहीत कर राज्य सरकार को जमा कराया जायेगा और जहां कर राज्य सरकार को जमा करा दिया गया है वहां इसका प्रतिदाय नहीं किया जायेगा।''।

[एफ.12(15)वित्त/कर/2008-90]
राज्यपाल के आदेश से,

(रजत कुमार मिश्र)
शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 25 फरवरी, 2008

एस.ओ.443.- राजस्थान मनोरंजन और विज्ञापन कर अधिनियम, 1957 (1957 का अधिनियम सं. 24) की धारा 4ककक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए

राज्य सरकार इसके द्वारा अधिसूचित करती है कि डायरेक्ट टू होम प्रसारण सेवा का स्वत्वधारी प्रति अभिदाता अभिदाय प्रभारों का 10 प्रतिशत की दर से मनोरंजन कर का संदाय करने का दायी होगा।

[एफ.12(15)वित्त/कर/2008-91]
राज्यपाल के आदेश से,

(रजत कुमार मिश्र)
शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 25 फरवरी, 2008

एस.ओ.444.- राजस्थान मनोरंजन और विज्ञापन कर अधिनियम, 1957 (1957 का अधिनियम सं. 24) की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान मनोरंजन और विज्ञापन कर नियम, 1957 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान मनोरंजन और विज्ञापन कर (संशोधन) नियम, 2008 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नये नियमों का अंतःस्थापन.- राजस्थान मनोरंजन और विज्ञापन कर नियम, 1957 के विद्यमान नियम 18 खखख के पश्चात् और नियम 18 ग के पूर्व, निम्नलिखित नये नियम 18 खखखख और 18 खखखखख अंतःस्थापित किये जायेंगे, अर्थात्:-

"**18 खखखख. डायरेक्ट टू होम प्रसारण सेवा चलाने के लिए अनुज्ञा प्राप्त करना.-** (1) किसी डायरेक्ट टू होम प्रसारण सेवा का स्वत्वधारी, इन नियमों के प्रवृत्त होने की तारीख से 15 दिन के भीतर या ऐसे मनोरंजन के प्रारंभ होने की तारीख से कम से कम 15 दिन पूर्व, आयुक्त को एक निवेदन प्रस्तुत करेगा।

(2) स्वत्वधारी, आयुक्त द्वारा नियत की गयी रकम की प्रतिभूति के साथ कोई अन्य सूचना, जिसकी आयुक्त द्वारा अपेक्षा की जाये, आयुक्त को प्रस्तुत करेगा।

18 खखखखख. डायरेक्ट टू होम प्रसारण सेवा के लिए कर का संदाय.- (1) अधिनियम की धारा 4ककक के अनुसार कर का संदाय करने का दायी डायरेक्ट टू होम प्रसारण सेवा का स्वत्वधारी, अभिदाताओं की संख्या, प्रत्येक अभिदाता का नाम और पता, प्रत्येक अभिदाता से प्राप्त रकम और कर की रकम का सत्य और ठीक अभिलेख रखेगा।

(2) किसी डायरेक्ट टू होम प्रसारण सेवा के स्वत्वधारी से, प्रत्येक कलेण्डर मास की समाप्ति के सात दिन के भीतर संदेय कर जमा कराये जाने की अपेक्षा की जायेगी।

(3) किसी डायरेक्ट टू होम प्रसारण सेवा का स्वत्वधारी, प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के पन्द्रह दिन के भीतर-भीतर, अधिनियम के अधीन संदेय कर के जमा

कराने के सबूत के साथ प्ररूप एस-7 में तिमाही विवरणी दो प्रतियों में दाखिल करेगा।

स्पष्टीकरणः तिमाही से 30 जून, 30 सितम्बर, 31 दिसम्बर और 31 मार्च को समाप्त होने वाली तीन माह की कालावधि अभिप्रेत है।

3. नये नियम का जोड़ा जाना.- (1) उक्त नियमों में विद्यमान नियम 32 के पश्चात्, निम्नलिखित नया नियम जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"**33 विवरणी और संदायों का इलैक्ट्रोनिक रूप से दाखिल किया जाना.-** (1) इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई स्वत्वधारी अपने विकल्प पर, इन नियमों के अधीन प्रस्तुत किये जाने के लिए अपेक्षित विवरणी को, स्वयं या उसके प्रबंधक द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर कर सम्यक् रूप से सत्यापित कर इलैक्ट्रोनिक रूप से दाखिल कर सकेगा।

(2) स्वत्वधारी यदि संदाय इलैक्ट्रोनिक रूप से नहीं करता है तो विवरणी दाखिल करने के लिए विहित कालावधि में, कर जमा करने का सबूत भी प्रस्तुत करेगा, ऐसा करने में विफल रहने पर, विवरणी दाखिल नहीं करने का मामला समझा जायेगा।

(3) स्वत्वधारी, अपने विकल्प पर, उससे शोध्य कर और/या अन्य राशि को, ऐसे निक्षेप के लिए विनिर्दिष्ट समय के भीतर, राज्य सरकार को इलैक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से जमा करा सकेगा।

(4) **नये प्ररुप का जोड़ा जाना.-** विद्यमान प्ररुप एस-6 के पश्चात् निम्नलिखित नया प्ररुप जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"प्ररुप एस-7

केबल टेलीविजन नेटवर्क के अभिदाताओं का ब्यौरा और ..... को समाप्त होने वाले मास के लिए देय मनोरंजन कर दर्शाने वाला विवरण.-

1. केबल टेलीविजन नेटवर्क के स्वत्वधारी का नाम .....
2. स्वत्वधारी का स्थानीय और स्थायी आवासीय पता .....
3. कारबार का क्षेत्र (परिक्षेत्र, आदि के नाम के साथ) .....
4. स्वत्वधारी के कारबार का पता .....
5. प्रवेश फीस और कर संग्रहण प्राधिकार प्रमाणपत्र सं. और जारी करने की तारीख .....
6. मास जिससे विवरण संबंधित है

क्र.सं.	अभिदाता का नाम और पता	प्रति अभिदाता लागू, कर की दर	प्रत्येक अभिदाता से प्राप्त रकम

1. अभिदाताओं की कुल संख्या
2. मासिक मनोरंजन कर की रकम
3. अंतिम बार संदत्त कर की रकम और तारीख

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दी गयी सूचना सही है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

दिनांकः स्वत्वधारी/प्रबंधक''

[एफ.12(15)वित्त/कर/2008-92]
राज्यपाल के आदेश से,

(रजत कुमार मिश्र)
शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 25 फरवरी, 2008

एस.ओ.445.- राजस्थान (होटलों और बासों में) विलासों पर कर अधिनियम, 1990 (1996 का अधिनियम सं. 9) की धारा 7 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, किसी चिकित्सालय या परिचर्या गृह में उपलब्ध कराये गये विलासों के लिये संदेय कर से, निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन, इसके द्वारा छूट देती है, अर्थात् :-

1. यदि ऐसा चिकित्सालय या परिचर्या गृह, जिसे राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा मुफ्त भूमि आवंटित की गयी है या अपनी भूमि का क्रय रियायती दर पर किया है, अपने कुल अन्तरंग और साथ ही बहिरंग रोगियों में से कम से कम बीस प्रतिशत निर्धन रोगियों को मुफ्त चिकित्सीय उपचार उपलब्ध करा रहा हो।

2. यदि ऐसा चिकित्सालय या परिचर्या गृह, जिसे राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा मुफ्त भूमि आवंटित नहीं की गयी है या अपनी भूमि का क्रय बिना रियायती दर पर किया है, अपने कुल अन्तरंग और साथ ही बहिरंग रोगियों में से कम से कम दस प्रतिशत निर्धन रोगियों को मुफ्त चिकित्सीय उपचार उपलब्ध करा रहा हो।

[एफ.12(15)वित्त/कर/2008-93]
राज्यपाल के आदेश से,

(रजत कुमार मिश्र)
शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 25 फरवरी, 2008

एस.ओ.446.- राजस्थान (होटलों और बासों में) विलासों पर कर अधिनियम, 1990 (1996 का अधिनियम सं. 9) की धारा 44 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते

हुए राज्य सरकार, राजस्थान (होटलों और बासों में) विलासों पर कर नियम, 1997 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. - (1) इन नियमों का नाम राजस्थान (होटलों और बासों में) विलासों पर कर (संशोधन) नियम, 2008 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 5क का अन्तःस्थापन.- राजस्थान (होटलों और बासों में) विलासों पर कर नियम, 1997, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के विद्यमान नियम 5 के पश्चात् और नियम 6 के पूर्व निम्नलिखित नया नियम अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

''**5क. प्रतिदिन प्रभारों का ब्यौरा प्रदर्शित करना.-** प्रत्येक होटल वाला, ग्राहकों के फायदे के लिए, अपने होटल के सहजदृश्य स्थान पर उसमें उपलब्ध आवास के सभी प्रवर्गों के लिए उद्ग्रहीत किये जाने वाले प्रतिदिन के प्रभारों का पूर्ण ब्यौरा उपदर्शित करते हुए एक बोर्ड लगायेगा।''

3. नियम 9 का संशोधन.- उक्त नियमों के विद्यमान नियम 9 में, जहां कहीं विद्यमान अभिव्यक्ति ''राजस्थान विक्रय कर नियम, 1995'' आयी हो उसके स्थान पर अभिव्यक्ति ''राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

[एफ.12(15)वित्त/कर/2008-94]
राज्यपाल के आदेश से,

(रजत कुमार मिश्र)
शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 25 फरवरी, 2008

एस.ओ.447.- राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह समाधान होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि यदि जंगम सम्पत्ति के अन्तरण की लिखत में उल्लिखित प्रतिफल राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के अधीन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निर्धारित बाजार मूल्य से अधिक है तो निर्धारित बाजार मूल्य और प्रतिफल की रकम के अन्तर पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क 11% से घटाकर 3.25% किया जायेगा किन्तु यह सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किसी भी रीति में किये गये अन्तरण की दशा में लागू नहीं होगा।

[एफ.12(15)वित्त/कर/2008-95]
राज्यपाल के आदेश से,

(रजत कुमार मिश्र)
शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 25 फरवरी, 2008

एस.ओ.448.- राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ.4(67)/एफडी/टैक्स/2004-57 दिनांक 12.7.2004 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, यह समाधान होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची के अनुच्छेद 21 के उप-खण्ड (ii) के अधीन जंगम सम्पत्ति के अन्तरण के लिए निष्पादित लिखत पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क का इसके द्वारा परिहार करती है।

[एफ.12(15)वित्त/कर/2008-96]
राज्यपाल के आदेश से,

(रजत कुमार मिश्र)
शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 25 फरवरी, 2008

एस.ओ.449.- राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह समाधान होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि राज्य सरकार, राजस्थान आवासन बोर्ड, जयपुर विकास प्राधिकरण, नगर सुधार न्यास, रीको, नगर पालिका, नगर परिषद् या नगर निगम द्वारा भू-उपयोग के परिवर्तन के पश्चात् निष्पादित स्थावर संपत्ति की लिखत पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क घटाया जायेगा और पूर्व भू-उपयोग और परिवर्तित भू-उपयोग के आधार पर संगणित भूमि के बाजार मूल्य के अन्तर पर ही प्रभारित किया जायेगा।

[एफ.12(15)वित्त/कर/2008-97]
राज्यपाल के आदेश से,

(रजत कुमार मिश्र)
शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 25 फरवरी, 2008

एस.ओ.450.- राजस्थान वित्त विधेयक, 2008 (2008 का विधेयक सं. 06) की धारा 16 और राजस्थान अनन्तिम कर संग्रहण अधिनियम, 1958 की धारा 3 द्वारा

प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इसके द्वारा खनिज अधिकारों पर पर्यावरण और स्वास्थ्य उपकर की दर और उन खनिजों को, जिनके संबंध में उपकर उद्‌गृहीत किया जायेगा, निम्न प्रकार से अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

क्र. सं.	खनिज	प्रति टन प्रेषित खनिज पर उपकर की दर (रु. में)
1.	सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन खनिज अधिकार पर उपकर	5/-
2.	जिप्सम खनिज अधिकार पर उपकर	5/-
3.	रॉक फास्फेट खनिज अधिकार पर उपकर	35/-
4.	वोलास्टोनाइट खनिज अधिकार पर उपकर	40/-
5.	लैड एण्ड जिंक खनिज अधिकार पर उपकर	80/-
6.	कॉपर खनिज अधिकार पर उपकर	80/-

[एफ.12(15)वित्त/कर/2008-98]
राज्यपाल के आदेश से,

(रजत कुमार मिश्र)
शासन सचिव

परिवहन विभाग
अधिसूचना
जयपुर, 24 फरवरी, 2008

एस.ओ.451.-राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का राजस्थान अधिनियम सं. 11) की धारा 4-घ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ.6(252)परि/टैक्स/एच.क्यू/06-144 दिनांक 8.3.2006 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार इसके नीचे दी गयी सारणी के स्तम्भ सं. 2 में यथा-विनिर्दिष्ट यानों के विभिन्न वर्गों के लिए ग्रीन कर के नाम से उपकर की दर उसके स्तम्भ सं.3 में प्रत्येक के सामने विनिर्दिष्ट दर पर इसके द्वारा विहित करती है:-

सारणी

क्र.सं.	यान का वर्ग और आयु	उपकर की दर (रूपयों में)
1	2	3
1.	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 41 की उप-धारा (10) के अनुसार रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण-पत्र के नवीकरण के समय ऐसे गैर-परिवहन यान जो उनके रजिस्ट्रीकरण की तारीख से 15 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं:- (क) दुपहिया (ख) दुपहिया से भिन्न	 250.00 500.00
2.	मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 56 के अनुसार सही दशा में होने के प्रमाण-पत्र के नवीकरण	

	के समय ऐसे परिवहन यान जो उनके रजिस्ट्रीकरण की तारीख से 5 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं:-	
	(क) तिपहिया यात्री यान और माल यान	200.00
	(ख) तिपहिया यात्री और माल यान से भिन्न	500.00

[एफ.6(252)परि/कर//एचक्यू/07/24ए-99]
राज्यपाल के आदेश से,

(दिनेश यादव)
उप शासन सचिव